न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 78/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 24.05.2024
G.C.M.S. NO. :- 2024/78

श्रीमति गंगाबाई मेनारिया पत्नि रामलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.01.2024 न्यायालय उप तहसीलदार मंगलवाड़, प्रकरण संख्या 85/2024

उपस्थितिः–1– श्री मदन त्रिपाठी, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.09.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का नेगडिया, तहसील डूंगला की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील डूंगला की बिलानाम आराजी नम्बर 472 रकबा 4.0470 हैक्टेयर किस्म प.1 में से रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर

अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध निर्माण एवं तारबन्दी को मौके से हटाने, अतिक्रमित भूमि से बेदखली एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, मंगलवाड़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी श्री पवन गुर्जर निवासी हरियाखेड़ी द्वारा दिनांक 17.12.2023 को दर्ज कराये परिवाद के निस्तारण के संबंध में पटवार हल्का हरियाखेड़ी, तहसील डूंगला की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम हरियाखेडी, तहसील डूंगला की बिलानाम आराजी नम्बर 472 रकबा 4.0470 हैक्टेयर किस्म प.1 में से रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा मानते हुए निर्माण एवं तारबन्दी को हटाने तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखली एवं लगान का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम पेशी दिनांक 16.01.2024 पर अपीलांट ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से निवेदन किया कि जहां अपीलांट द्वारा मकान बनाया जा रहा है वह भूमि अपीलांट ने जरिये विक्रय इकरार श्री कालुलाल पिता देवीलाल निवासी हरियाखेडी से खरीदी है उक्त विक्रय इकरार की प्रति पेश करते हुए प्रकरण में जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर मांगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आराजी नम्बर 472 रकबा 4.0470 हैक्टेयर में अन्य ग्रामवासियों केशुराम पिता रेणाजी, मांगीलाल पिता देवाजी, कालुलाल पिता देवाजी आदि अन्य कई ग्रामवासियों के अपने बाप-दादाओं के जमाने से कब्जे होकर बाडे व मकान बनाकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं जबकि उक्त

रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने उन व्यक्तियों को अतिक्रमी नहीं बनाया है और पवन गुर्जर की शिकायत पर मात्र अपीलांट को अतिक्रमी बनाया है जो पक्षपातपूर्ण एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए यह विवादित आदेश पारित किया है जो पूर्णतया विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर अपीलांट को बाद में तारीख पेशी देना बताया और उसके बाद अपीलांट को तारीख पेशी बताये बगैर ही दिनांक 16.01.2024 को ही यह विवादित आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 29.04.2024 को पुनः अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में जाने पर उक्त आदेश होने की जानकारी हुई जिस पर नकल निर्णय प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश है। अपीलांट द्वारा जानबुझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है तथा विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2024 निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थीया द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दिनांक 16.01.2024 को उपस्थित होते ही निर्णय पारित कर दिया गया है तथा उसे जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर नहीं देना स्पष्ट प्रतिवेदित है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.01.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)